

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,
परिवहन मार्ग, चौमूं हाउस सर्किल, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग (0141-2374671)


क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2024/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 40(1) में एकल प्रकम बोली के लिए समय-सीमा का निर्धारण किया गया है। समुचित मामलों में, उपापन संस्था इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से, बोली प्रक्रिया की निर्धारित समय-सीमा को शिथिल कर सकेगी। इस क्रम में आवश्यकता होने पर निर्धारित समय सीमा को कम करने हेतु निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 24/2023 दिनांक 21.03.2023 के अनुसार निगम में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 40(1) में एकल प्रकम बोली के लिए समय-सीमा में शिथिलता प्रदान करने के लिए निगम अध्यक्ष सक्षम अधिकारी होंगे।

उक्त आदेश निगम संचालक मण्डल के निर्णय की पालना में एतद्वारा जारी किया जाता है।


(श्रेया गुहा)


अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2024/1935

दिनांक:- 15/05/24

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. जोनल मैनेजर, रा.रा.प.प.नि.....जोन।
8. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम,।
10. रक्षित पत्रावली।


(राम गोपाल पारीक)
वित्तीय सलाहकार

I. T. 950

20/05/24

HR/UC